

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021
कैम्प.....नैसातगढ़

प्रशासन गांवों के संग
अभियान 2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बिजौलिया
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2021 कैम्प कोर्ट)

कैम्प कोर्ट का स्थान.....नैसातगढ़.....

--:आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी नैसातगढ़ व यु.अ.नि नैसातगढ़ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार बिजौलिया की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम फतहनगर तहसील बिजौलिया जिला बीकानेर की जमायन्दी सम्वत् 2026-2027-8 में खाता संख्या 174, 175, 176, 177, 178, 179 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क्र.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है) |
|---------|--------|------------------------------------|---|---|
| 1 | फतहनगर | 174, 175, 176, 177, 178, 179 | खाता संख्या 174, 175, 176, 177, 178, 179 में खोतेदार का नाम बाबु पुत्र जमलाल जाति घाकड़ है। | खाता सं. 174, 175, 176, 177, 178, 179 में खोतेदार का नाम बाबु पुत्र जमलाल जाति घाकड़ के स्थान पर बाबु पुत्र जमलाल जाति घाकड़ रिखा जाता है। |



(सीमा तिकारी) 2021
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, बिजौलिया

संक्रमांक :- 152/2021

दिनांक :- 26/10/2021

श्रीतल्लिपि :-

1. तहसीलदार, बिजौलिया को भेजकर लख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद घोषित किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री बाबु पुत्र जमलाल घाकड़ को सूचनायें।
3. रक्षित पत्रायली।

(सीमा तिकारी) 2021
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा.कलक्टर, बिजौलिया